भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

दाण्डिक अपीलीय संख्या 462/2019

सीता राम और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य - प्रत्यर्थी

<u>आदेश</u>

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर खंडपीठ जयपुर में डी. बी. दाण्डिक अपीलीय संख्या 175/1983 में पारित 21.09.2016 के निर्णय और अंतिम आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

2. मामले में अपराध इस आशय की मोती राम द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसरण में दर्ज किया गया था कि 02-08-1982 को जब उसकी मां, पत्नी और उसके भाई फूलचंद के साथ मिलकर खसरा नंबर 210 में स्थित खेतों में गए थे,नोपाराम के पुत्र हनुमान, नोपाराम के पुत्र मंगू, नोपाराम के पुत्र सूर्य, हनुमान के पुत्र सीताराम, मंगू के पुत्र जगदीश, सूर्य के पुत्र प्रह्लाद, मंगू के पुत्र गणेश, मंगला के पुत्र हनुमान, हनुमान के पुत्र महाबक्श, हनुमान की पत्नी तुलसी, फुली के पुत्र मंगू, राम के पुत्र सूर्य, आंचली के पुत्र जगदीश, गुलाबी के पुत्र सीताराम, मंगू के पुत्री मंगू, गुल्दी के पुत्र हनुमान, संकरी के पुत्र सुरजराम, सज्जन के पुत्र हनुमान, वहां दरांती और लाठियों से लैस होकर आए और उसकी मां और पत्नी पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके छोटे भाई फूलचंद ने घर जाकर अपने पिता घड़सी राम और भाई श्याम लाल को घटना की

जानकारी दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप घड़सी राम के सिर और पीठ पर चोट लगी, जबकि उसके भाई श्याम लाल को हंसिया से गंभीर चोटें आईं। इस तरह की रिपोर्ट पर शुरू में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 147, 148, 325, 324, 323, 149 के तहत राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्यामजी पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया था। घड़सी राम की मृत्यु के बाद भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध जोड़ा गया।

पी.डब्ल्यु. 4 डॉ. एम एम मिश्रा द्वारा किए गए पोस्टमॉर्टम में मृतक घड़सी राम को निम्नलिखित बाहरी चोटें पाई गईंः

1. खोपड़ी के बाएं पार्श्विक क्षेत्र पर लम्बे सिलाई किए गए 2"के घाव

2. खोपड़ी के बाएं कनपटी भाग पर 2 X 1 सूजन

3. विदीर्ण घाव 1 X 1.5 X 1.5 खोपड़ी के दाहिने पश्च कपाल पर।

4. 2" X 2"खोपड़ी के बाएं फ्रंटल क्षेत्र पर खंरोच।

5. खरोंच बाएं पैर सामने की ओर ऊपरी एक तिहाई पर 1½” x ½” एक्स1/3

6. बाएं गाल पर 3/4” x 1/10” x 1/10” घाव।

7. घाव दाहिने हाथ के बीच में पार्श्व में 2" X 1"

8. मध्यम रूप से दाएं पैर के निचले एक तिहाई हिस्से पर2” x 1” खरोंच

9. खरोंच पैर के बीच में मध्य में 1” x 1/10”,

10. दाहिनी छाती] पीठ तिरछी के बीच में खरोंच 4” x 1/2”

11. पीछे बाएं हबर क्षेत्र पर खरोंच 1/2” x 1/10”

12. बाएं घुटने] पीठ पर 1/2” x 1/2”, खरोंच

13. दाहिने घुटने पर 1 X 2" x 1/4" खरोंच

14. बाएं हाथ के पीछे खंरोच 2" x 2"

15. 1" x 1" बायीं कलाई के पीछे खंरोच

पोस्टमॉर्टम में निम्नलिखित आंतरिक चोटों का भी संकेत दिया गयाः

1. खोपड़ी की बायीं फ्रंटल हड्डी में फ्रैक्चर था।

2. फ्रैक्चर साइट के नीचे बाईं पार्श्विक हड्डी पर उप-ड्यूरल हेमेटोमा था।

3. बाएं सामने की हड्डी पर मस्तिष्क में विकृति थी।

4. बाएं हाथ के तीन और चार अंगुलियों के फ्रैक्चर थे।

5. फेल्मला के ऊपरी छोर में फ्रैक्चर था।

चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार बाहरी चोटों के परिणामस्वरूप होने वाली आंतरिक चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। चिकित्सा राय के अनुसार सभी घाव लाठी जैसी एक कुंद वस्तु के कारण हुए थे और सभी घाव पोस्टमॉर्टम से पहले थे।

इस घटनाक्रम में घायल मोती राम की पत्नी मीरा को निम्नलिखित चोटें आयीं थींः

1 खोपड़ी के बाएं पार्श्विक क्षेत्र पर लेसेरेटेड घाव 1 ¾" x ¼" x 3/8"

2. खंरोच 2½" x 1", बायीं जांघ के निचले हिस्से में।

3. खरोंच बाएं गाल पर 1/2" x 1/8"

4. बाएं जांघ के निचले एक तिहाई हिस्से पर कोमलता के साथ एकिमोसिस केवल घुटने का अकेला जोड़ पार्श्व में होता है।

मुखबिर की मां सुश्री बरजी को निम्नलिखित चोटें आई थींः

1. दाएं पैर के ऊपरी एक तिहाई हिस्से पर 5/8" x 1/8" x 3/8", का घाव।

2. बाएं हाथ की मेटाकार्पल हड्डी में अपंगता के साथ सूजन।

3. बाएं पैर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत।

4. खंरोच 3" x 1", बीच में एक तिहाई दाहिनी जांघ की पार्श्व तरफ।

पीठ के बाएं हम्बर क्षेत्र में दर्द की शिकायत।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि घटना में आरोपी की ओर से दो व्यक्ति भी घायल हुए हैं।

अभियुक्त जगदीश को निम्नलिखित चोटें आई थीं:

1. गर्दन के बाईं ओर 1" x 3/8" x 1", कटा हुआ घाव।

2. बाएं पैर के निचले हिस्से पर इकिमोसिस 3" x 1 ½"

मेडिकल ऑपिनियन ऑन रिकॉर्ड के अनुसार चोट नं. 1 एक तेज काटने वाले हथियार के कारण हुआ था।

एक अन्य आरोपी प्रह्लाद को निम्नलिखित चोटें आई थीं।

1. बाएं हाथ के टॉर्ड्स अंगूठे के पृष्ठभाग पर कटा हुआ घाव, 2¼" x 1" x 3/8",

2. रेडियल साइड पर बाएं हाथ के निचले एक तिहाई हिस्से पर कटा हुआ घाव 1½" x 1/8" x 1/8",

3. खरौंच 1/2" x 1/8", रेडियल साइड पर बाएं हाथ के ऊपरी 1/3 हिस्से पर।

इस मामले में भी चोट नं. 1 और 2 धारदार काटने वाले हथियार के कारण हुए थे।

यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच अधिकारी पी डब्ल्यु 11श्री अमिलाल ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एक ही संव्यवहार के संबंध में वर्तमान मामले में दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में और

साथ ही अभियुक्त के पक्ष के अनुरोध पर की गई रिपोर्टिंग के आधार पर दो क्रॉस प्रकरण थे, और वास्तव में आरोपी द्वारा की गई रिपोर्टिंग समय के पहले की गई थी, जिसके अनुसरण में भा.दं.सं. की धारा 447 और 323 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में 1982 की पहली सूचना रिपोर्ट संख्या 75 दर्ज की गई थी।

विचारण न्यायालय ने 16 लोगों में से आठ लोगों को दोषी करार दिया जबकि चार महिलाओं सहित बाकी आरोपियों को बरी कर दिया।हनुमान, मंगुराम, सूर्यराम, सीताराम, मंगला राम, प्रह्लाद, जगदीश और गणेश को भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 147, 302/149, 325/149 और 323 के तहत दाण्डिक अपीलीय का दोषी पाया गया था और उन्हें भा.दं.सं. की धारा 302 और 302/149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी व अन्य अपराध के लिए अन्य सहायक कारावास की सजा दी गई ।

उक्त अपील विचाराधीन रहने के दौरान दोषी अभियुक्त हनुमान, मंगू राम, सूर्य राम और जगदीश की मृत्यु हो गई जिसके बाद इन अभियुक्तों के संबंध में कार्यवाही समाप्त हो गई।

शेष दोषी अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.09.2016 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा (जिसे वर्तमान में चुनौती दी जा रही है)हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं पाया। विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई ।

कार्यवाही विचाराधीन रहने के दौरान एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता संख्या 2से 4, अर्थात् मंगला राम, प्रहलाद और गणेश उस तारीख को किशोर थे, जब घटना हुई थी और इस प्रकार वे

किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 (जे. जे. अधिनियम)के संदर्भ में लाभ के हकदार है ।

चूंकि इस न्यायालय ने अबुजार हुसैन उपनाम गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012)10 एससीसी 489 में फैसला सुनाया था कि किशोरावस्था का दावा किसी भी स्तर पर और यहां तक कि पहली बार इस न्यायालय के समक्ष भी उठाया जा सकता है, भले ही इसे विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय में नहीं उठाया गया । दिनांक 06-0302019 को इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की संख्या 2 से 4 के नाबालिग होने के मुद्दे को सत्र न्यायालय जिला सीकर राजस्थान के विचार के लिए संदर्भित किया था।

इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार दोषी अभियुक्त अपीलकर्ता नं. 3 और 4 प्रह्लाद और गणेश घटना के दिन किशोर अवस्था के थे। कथित दावे के अनुसार दोषी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था जो सुविधा ये दोनों आरोपी अभी भी ले रहे है ।

हमने श्री अशोक अरोड़ा अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता और श्री हर्ष विनय राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना है

रिकॉर्ड पर परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए यह सामने आता हैः

(क- मृतक की मृत्यु लाठी जैसी किसी कठोर वस्तु के कारण हुई चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी।

(ख- किसी भी धारदार हथियार से एक भी चोट नहीं जुड़ी है।

(ग- इसी प्रकार अभियोजन पक्ष के घायल गवाहों को भी अधिकांश चोटें एक भोथरी वस्तु से लगी थीं।

(घ- रिकॉर्ड से पता चलता है कि घटना का स्थान खसरा नंबर 210 में स्थित एक कृषि क्षेत्र में था।

साक्ष्य से पता चलता है कि कथित कृषि क्षेत्र दोनों पक्षों के बीच विवाद का विषय था।

(च- दो अभियुक्त व्यक्ति स्वयं भी घायल हुए थे और उनमें से कुछ को धारदार हथियारों से चोट लगी थी।

(छ- यह घटना तब हुई जब शुरू में महिलाओं के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ जो बाद में एक घटना में बदल गया जहां मारपीट की गई।

इस परिप्रेक्ष्य में हमारे सुविचारित विचार के अनुसार यह मामला भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आता है और इस प्रकार प्रश्नगत अपराध हत्या नहीं होगा बल्कि गैर इरादतन मानव वध होगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता।

परिस्थितियों की समग्रता में हमारे विचार से सभी अभियुक्त मुख्य रूप से भा.दं.सं. की धारा 304-(2)और खंड 304(2)/149के तहत अपराधों के लिए दोषी होंगे ।

हमें बताया गया है कि आरोपी सीता राम और मंगला राम ने लगभग छह साल की सजा पूरी कर ली है। चीजों की उपयुक्तता में, भा.दं.सं. की खंड 304(2)और 304(2)/149के तहत अपराध के लिए छह साल के कारावास का दंड उपयुक्त होना चाहिए। यदि अभियुक्तों ने छह वर्ष का दंडादेश पूरा कर लिया है तो उन्हें रिहा किया जा सकता है यदि किसी अन्य अपराध के संबंध में उनकी अभिरक्षा की आवश्यकता न हो।

जहां तक दो अभियुक्तों प्रह्लाद और गणेश का संबंध है, जिनकी किशोरावस्था की संबंधित सत्र न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई है, हम

निर्देश देते हैं कि उनका मामला किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 20 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 25 के अनुसार निपटाया जाए।

इन टिप्पणियों के साथ इसमें ऊपर उल्लिखित सीमा तक अपील स्वीकार की गई है।

जे. (उदय उमेश ललित)

जे. (एस. रविन्द्र भट)

जे. (बेला एम. त्रिवेदी)

नई दिल्ली 28 अक्टूबर 2021

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translators)

Disclaimer:- The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.